

प्रति,

माननीय डॉ मोहन यादव जी,
मुख्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन,
भोपाल, म0प्र0

12 6 APR 2026

विशय : मुख्य कार्यकारी अधिकारी जबलपुर स्मार्ट सिटी श्री अरविंद शाह आईएस द्वारा अभद्रता एवं गाली गलौच के संबंध में शपथपूर्वक शिकायत।


माननीय महोदय जी,

मैं दिलप्रीत भल्ला, पिता श्री टी.पी.एस. भल्ला, उम्र 37 वर्ष, निवासी फ़ैल्ट नं 208 नागरथ चौक, सिविल लाईन, जबलपुर शपथपूर्वक शिकायत करती हूँ कि वर्तमान में प्रशासनिक कार्यकारी (Administrative Executive) के पद पर स्मार्ट सिटी जबलपुर में फरवरी, 2025 से कार्यरत हूँ। मेरे द्वारा अपने कर्तव्यों एवं कार्य को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से किया जा रहा है। मेरे पूरी सेवा अवधि में किसी के द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है। यह शिकायत अत्यंत पीडा एवं दुख के साथ आपको प्रेषित कर रही हूँ, यह आशा के साथ कि आप बिना पक्षपात के उचित कार्यवाही करेंगे। महोदय जी, स्मार्ट सिटी जबलपुर में सभी कर्मचारियों की वेतन हर माह के प्रथम सप्ताह के भीतर आ जाती है। महोदय जी, विगत माह मार्च, 2026 का वेतन जब मेरे बैंक खाते में 10 अप्रैल, 2026 तक नहीं आया तब मेरे द्वारा श्री रवि राव, प्रशासनिक अधिकारी, स्मार्ट सिटी जबलपुर से यह पूछा कि सभी का वेतन मार्च माह का आ गया है किन्तु मेरा क्यों नहीं आया, तो श्री रवि राव जी के द्वारा मुझे मौखिक रूप से यह बताया गया कि श्री अरविंद शाह, मुख्यकार्यकारी अधिकारी जबलपुर स्मार्ट सिटी के मौखिक आदेश पर मेरा वेतन रोका गया है।

महोदय जी, जब मेरे द्वारा श्री अरविंद शाह, मुख्यकार्यकारी अधिकारी जबलपुर स्मार्ट सिटी से निवेदन किया गया कि मेरा वेतन का भुगतान करवा दिया जाए तब उनके द्वारा यह कहा गया कि मैंने आपको कभी इस कार्यालय में कार्य करते हुए नहीं देखा और मुझे अभद्रतापूर्वक कार्यालय से बाहर जाने के लिए बोला गया जिसपर मेरे द्वारा यह बोला गया कि आप मेरी अटेंडेंस चैक करवा लीजिए और कृपया कर मेरे वेतन का भुगतान करवा दीजिए।

महोदय जी, जब मेरे द्वारा यह वाक्या होने के पश्चात् अपने परिवारजनो को बताया गया और तत्पश्चात् मेरे द्वारा अपने पिता के साथ माननीय मंत्री श्री राकेश सिंह जी को उनके कार्यालय मे जाकर बताया गया, तब माननीय मंत्री जी द्वारा कार्यकारी निर्देशक, स्मार्ट सिटी जबलपुर श्री रामप्रकाश अहिरवार जी को बोला गया कि आप इस समस्या का निदान करें। माननीय मंत्री जी को इस वाक्ये से अवगत कराने के एक-दो दिन बाद दिनांक 22.04.2026 को मुझे श्री अरविन्द शाह, मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जबलपुर स्मार्ट सिटी के द्वारा कार्यालय मे अपने चैंबर मे बुलाया गया। अपने चैंबर मे बुलाने के बाद श्री अरविन्द शाह, मुख्यकार्यकारी अधिकारी जबलपुर स्मार्ट सिटी के द्वारा यह कहा गया कि "तू दो कोडी की कर्मचारी है और मैं एक आई.ए.एस. अधिकारी हूँ तेरे को जहाँ लगे वहाँ जाकर शिकायत कर मंत्री से फोन करवाती है और आगे ये कहा गया कि मैं किसी मंत्री की नही सुनता, ना ही किसी मंत्री की चाटता हूँ और मैं अपनी दम से आई.ए.एस. अधिकारी बना हूँ ना ही किसी मंत्री या आई.ए.एस. / आई.पी.एस. की सिफारिश पर नौकरी मे आया हूँ और यह भी कहा गया कि तू भी किसी मंत्री की मत चाट। जब इतना सुनने के बाद मैं श्री अरविन्द भाह, मुख्यकार्यकारी अधिकारी जबलपुर स्मार्ट सिटी के चैंबर से शर्मसार एवं रोते हुए निकल रही थी तो बाहर निकलने के पहले श्री अरविन्द शाह, मुख्यकार्यकारी अधिकारी जबलपुर स्मार्ट सिटी ने कहा कि निकल जा मेरे चैंबर से और मंत्री जी को गाली देते हुए बोला कि मैं मंत्री को भी देख लूँगा।"

महोदय जी, इसके बाद मैं रोते हुए कार्यालय से घर जाकर पूरी घटनाक्रम अपने परिवारजनो एवं सिख समाज के वरिष्ठो को अवगत कराया गया, तब परिवारजनों एवं सिख समाज के वरिष्ठों द्वारा माननीय मंत्री श्री राकेश सिंह जी को अवगत कराया गया। माननीय मंत्री श्री राकेश सिंह जी द्वारा अपने शासकीय आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों जिसमे श्री राघवेन्द्र सिंह, चेयरमेन, स्मार्ट सिटी /कलेक्टर, जिला जबलपुर एवं श्री रामप्रकाश अहिरवार, कार्यकारी निर्देशक, स्मार्ट सिटी जबलपुर /आयुक्त, नगर निगम जबलपुर के समक्ष श्री अरविन्द शाह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जबलपुर स्मार्ट सिटी को बुलाया एवं माननीय मंत्री श्री राकेश सिंह जी द्वारा समझाइश दी गई और कहा गया कि आप एक आई.ए.एस. अधिकारी होने के नाते समाज के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है और आपका आगे एक लंबा कार्यकाल है, आपको एक महिला सहकर्मी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार एवं गाली गलौच नही करनी चाहिए थी। जिसपे श्री अरविन्द शाह,



12 6 APR 2026


Beet

मुख्यकार्यकारी अधिकारी जबलपुर स्मार्ट सिटी के द्वारा यह कहा गया कि मेरी भाषा भले ही गलत रही होगी परंतु मेरा भाव गलत नहीं था। माननीय मंत्री श्री राकेश सिंह जी एवं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष श्री अरविंद शाह, मुख्यकार्यकारी अधिकारी जबलपुर स्मार्ट सिटी के द्वारा ना ही माफी मांगी गई एवं अपने व्यवहार पर कोई खेद प्रकट किया गया जिससे कि मैं आहात हूँ एवं मुझे अत्यंत पीडा और भय है।

महोदय जी, मैं शिकायत करती हूँ कि उचित कार्यवाही की जाए एवं मुझ कनिष्ठ महिला कर्मचारी के साथ या किसी अन्य कर्मचारी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार पुनः ना हो। आशा करती हूँ कि आप बिना पक्षपात के उचित कार्यवाही करेंगे।

धन्यवाद


जबलपुर
दिनांक 26.04.2026


दिलप्रीत भल्ला
पिता श्री टी.पी.एस. भल्ला,
उम्र 37 वर्ष,
निवासी फ़ैल्ट नं 208
नागरथ चौक, सिविल लाईन, जबलपुर

सत्यापन

मैं, दिलप्रीत भल्ला, पिता श्री टी.पी.एस. भल्ला, उम्र 37 वर्ष, निवासी फ़ैल्ट नं 208 नागरथ चौक, सिविल लाईन, जबलपुर, म0प्र0 प्रशासनिक कार्यकारी (Administrative Executive) के पद पर स्मार्ट सिटी जबलपुर में पदस्थ हूँ मैं यह शपथ करती हूँ कि मेरे द्वारा की गई श्री अरविंद शाह, मुख्यकार्यकारी अधिकारी जबलपुर स्मार्ट सिटी की शिकायत पूर्णतः सत्य है एवं ना ही किसी के प्रलोभन या दवाब में की गई है।

360/26
Identify by me 12 6 APR 2026


दिलप्रीत भल्ला
पिता श्री टी.पी.एस. भल्ला,
उम्र 37 वर्ष, निवासी फ़ैल्ट नं 208
नागरथ चौक, सिविल लाईन, जबलपुर

प्रतिलिपि : चेयरमैन जबलपुर स्मार्ट सिटी / कलेक्टर जिला जबलपुर, म0प्र0

